

प्रेस नोट थाना राजघाट गोरखपुर दिनांक 12.07.2022

कच्ची शराब का शातिर व्यापारी 500 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब एवं 3 किलोग्राम यूरिया व 2 किलोग्राम नौसादर व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम कच्ची शराब के निष्कर्षण विक्रय के रोकथाम रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.07.2022 को थाना क्षेत्र में अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय के रोकथाम दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप मिश्र द्वारा 500 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब 3 किलोग्राम यूरिया व 2 किलोग्राम नौसादर व एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे आरटीआर के साथ अभियुक्त प्रदुम पुत्र पाहुल निवासी कठउर थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर को अमरुद बाग चकरा दोयम से समय करीब 01:25 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2022 धारा 272 आईपीसी एवं 60/72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का नाम पता-

प्रदुम पुत्र पाहुल निवासी कठउर थाना रामगढ़ताल जिला गोरखपुर

बरामदगी :-

लगभग 500 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब 3 किलोग्राम यूरिया व 2 किलोग्राम नौसादर एवं एक अदद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 53सीपी 7815 अपाचे आरटीआर

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय:-

स्थान- अमरुद बाग चकरा दोयम से, दिनांक 12.07.2022 समय 01:25 बजे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु.अ.सं.04/2022 धारा 272 आईपीसी एवं 60(2) आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

2-मु.अ.सं. 179/22 धारा 272 आईपीसी एवं 60/72 आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1.थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 2.उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 3.कां.मंगलदीप यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 4.कां.अंजनी राय थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
- 5.कां.अर्जुन शर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर